पत्रांक – 3 / विविध–1201 / 2012 का 11029 /

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एन0 एन0 सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक 27 सितम्बर, 2012

विषय :– सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकार की सहमति के बिना झारखण्ड सचिवालय सेवा के पदधारकों के सेवाएँ वापस नहीं करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड के पत्रांक–1001 दिनांक–23.02.2006 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया कि राज्य स्तरीय सम्वर्ग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएँ उनके सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकार की पूर्वानुमति तथा स्पष्ट कारण के आधार पर ही वापस की जाय ।

2. सरकार के समक्ष ऐसे कई दृष्टांत आये हैं, जिसमें सम्वर्गीय प्राधिकार की पूर्वानुमति एवं किसी ठोस कारण के बिना झारखण्ड सचिवालय सेवा के विभिन्न कोटि के पदधारकों की सेवाएँ इस विभाग को वापस की गई हैं । आप सहमत होंगे कि ऐसी कार्रवाईयों से प्रशासी विभाग के क्षेत्राधिकार का हनन् होता है तथा कई मामलों में वैधानिक कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है ।

3. अतः अनुरोध है कि पूर्व के दिशानिदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए झारखण्ड सचिवालय सेवा के पदधारकों की सेवाएँ वापस करने से पूर्व सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकार की पूर्वानुमति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय । जहाँ तत्काल सेवा वापसी अपरिहार्य हो वैसे मामले में प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र साक्ष्य सहित गठित करते हुए ही उक्त सेवा के पदधारकों की सेवा इस विभाग को वापस की जाय ।

विश्वासभाजन,

NSO
24/9/2012

(एन0 एन0 सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।